आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई ऑफिस कम्प्यूटर संख्या-1650913
अमृत-2.0 का फण्डिंग पैटर्न/रिफॉर्म
संख्या- 4535/नौ-5-2022-15बजट/2022

प्रेषक,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2- राज्य मिशन निदेशक, अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 06 अक्टूबर, 2022

विषयः- अमृत-2.0 योजनान्तर्गत सृजित की जाने वाली परियोजनाओं के Funding Pattern का निर्धारण तथा अमृत-2.0 के Operational Guidelines के अनुसार निकायों में सुधारों (Reforms) को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार द्वारा निर्गत अमृत-2.0 Operational Guidelines के प्रस्तर-5.4 के अनुपालन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (SHPSC) की बैठक दिनांक 09.03.2022 एवं मा0 मुख्यमंत्री जी से प्राप्त अनुमोदन के पश्चात् स्थिर हुए मत के अनुसार अमृत-2.0 के अन्तर्गत ली जाने वाली परियोजनाओं की Funding Pattern/Breakup निम्नवत निर्धारित की गई है :-

जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकाय की श्रेणी	**केन्द्रांश (Central Share)**	**राज्यांश (State Share)**	**निकायांश (ULB's Share)**
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकाय	25 प्रतिशत	45 प्रतिशत	30 प्रतिशत
1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले निकाय	33.33 प्रतिशत	46.67 प्रतिशत	20 प्रतिशत
1 लाख से कम जनसंख्या वाले निकाय	50 प्रतिशत	30 प्रतिशत	20 प्रतिशत

2- उक्त के अतिरिक्त परियोजना लागत (Capital Cost) के अतिरिक्त अमृत-2.0 के अन्तर्गत सृजित होने वाली परियोजनाओं/परिसम्पत्तियों की न्यूनतम 05 वर्ष तक के Operation & Maintenance (O&M) पर होने वाले व्यय को परियोजना लागत के साथ पृथक रूप से लिया जाना होगा, जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। अतः Operation & Maintenance (O&M) पर होने वाला व्यय राज्य सरकार एवं नगरीय निकायों द्वारा वहन किया जायेगा।

3- अमृत-2.0 के Operational Guidelines के प्रस्तर-8 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार निम्न सुधारों (Reforms) को भी नगरीय निकायों में लागू किया जाना है :-

8.2 Mandatory Reforms –
8.2.1 Property Tax Reforms
8.2.2 Reforms on User Charges
8.2.3 Effective System for Grievance Redressal

8.3 Incentive based Reforms –

(A) **Reforms on Water Coservation:**

8.3.1 Reduction in Non-Revenue Water to below 20%

8.3.2 Recycle of treated used water to meet at least 20% of total city water demand and 40% industrial water demand at State level

8.3.3 Rejuvenation of water bodies with area preferably one acre

8.3.4 24x7 water supply with 'Drink from tap' facility in the selected wards

8.3.5 Development of green spaces and parks

(B) **Reforms on Governance:**

8.3.6 Ease of getting water and sewer connections

8.3.7 Credit rating and issuance of municipal bonds

8.3.8 Online municipal services system

8.3.9 Electrical Vehicle Charging points in cities with population above 50,000

8.3.10 Augmenting double entry accounting system

8.3.11 PPP project in non-million plus cities

8.3.12 Involvement of community

(C) **Reform on Energy Efficiency:**

8.3.13 Reform on energy efficiency

(D) **Reforms of Urban planning and unlocking land value through urban planning:**

8.3.14 GIS based master plans of Class-II Towns with population of 50,000-99,999- sub scheme

8.3.15 Sub-scheme on Local Area Plan (LAP) and Town Planning Scheme (TPS)

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अमृत-2.0 योजनान्तर्गत सृजित की जाने वाली परियोजनाओं के Funding Pattern एवं अमृत-2.0 के Operational Guidelines के अनुसार निकायों में सुधारों (Reforms) को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु उक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
06.10.2022

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।